



कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226007

संदर्भ संख्या :/सम्ब. अनु./2019

दिनांक :

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
विश्वविद्यालय से सहयुक्त समस्त महाविद्यालय,
लखनऊ।

महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

महोदय/महोदया,

सूच्य है कि यू0जी0सी0 एवं उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालयों का नैक (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) द्वारा गुणवत्ता मूल्यांकन कार्य कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय से बार-बार सहयुक्त महाविद्यालयों को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पुनः उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या : 565/रा0उ0शि0प0/37/18, दिनांक 19.03.2019 द्वारा अधिक से अधिक संस्थाओं को नैक मूल्यांकित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः शासन के उपर्युक्त पत्र दिनांक 19.03.2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि नैक मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर महाविद्यालय का नैक मूल्यांकन कराने का कष्ट करें।

2. जिन सहयुक्त महाविद्यालयों के पूर्व में किये गये नैक मूल्यांकन की अवधि (वैधता तिथि) समाप्त हो चुकी है वे भी पुनः नैक मूल्यांकन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर मूल्यांकन कराने का कष्ट करें। साथ ही साथ समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि प्रगति आख्या से एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः कृपया व्यक्तिगत रुचि लेकर आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एस0के0 शुक्ल)
कुलसचिव

संख्या : AF-6205-08

दिनांक : 30/3/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

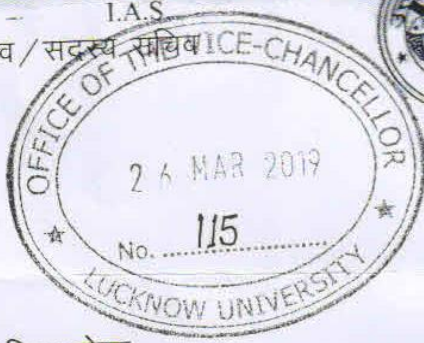
1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा (अनुभाग-1), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रो0 राजीव मनोहर, समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी./नैक, ल0वि0वि0 को शासन के पत्र दिनांक 19.03.2019 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. ☒ इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर सेन्टर, ल0वि0वि0 को शासन के पत्र दिनांक 19.03.2019 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त महाविद्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल।

Sushmala
(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव

जिन्द्र कुमार तिवारी

अर्द्धशा0पत्रसंख्या-565/रा0उ0शि0प0/37/18

पर मुख्य सचिव/सदस्य सचिव



उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन

कक्ष संख्या- 20, 21 प्रथम तल बहुखण्डी भवन, सचिवालय

लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2019

Office Phone No : 0522-2235710

Email: upshec@gmail.com

Website : www.uphed.gov.in/council

कुल सचिव का कार्यालय

डाक प्राप्ति

संख्या 1609

तिथि 27-3-19

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ-226007

प्रिय महोदय,

प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता मूल्यांकन का कार्य राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एवं NAAC संस्था द्वारा प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं के गुणवत्ता मूल्यांकन को गति प्रदान करने पर बराबर बल दिया जा रहा है। शासन भी इस विषय पर अत्यन्त गंभीर है। उच्च शिक्षण संस्थाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया में समय-समय पर NAAC द्वारा किये जा रहे सरलीकृत परिवर्तनों से अवगत कराते हुये अधिक से अधिक उच्च शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन हेतु प्रेरित किया जाना आवश्यक है। NAAC द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों में इस बिन्दु पर सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा प्रदेश की सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को NAAC संस्था से अनिवार्य रूप से गुणवत्ता मूल्यांकन कराये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रदेश स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थाओं का Revised Accreditation Framework- 2017 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिक से अधिक संस्थाओं को मूल्यांकित कराये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए जिसमें यथासंभव NAAC संस्था के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाय। कार्यशाला में विशेष रूप से NAAC संस्था द्वारा मूल्यांकन की निर्धारित प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन भी आवश्यक है। इन कार्यशालाओं में उच्च शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य, विश्वविद्यालय के IQAC को-ऑर्डिनेटर एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को सम्मिलित किया जाय।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं के NAAC संस्था से मूल्यांकन हेतु कृत संकल्प है। दिनांक 25 एवं 26 फरवरी, 2019 को देश के समस्त उच्च शिक्षा परिषदों की राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (NIEPA) दिल्ली में आयोजित परामर्शी बैठक में भी यह निष्कर्ष सामने आया कि देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं को गुणवत्ता अभिवृद्धि के लिए यथाशीघ्र NAAC से मूल्यांकन करा लेना चाहिए।

2- उपरोक्त के दृष्टिगत यह अपेक्षा की जाती है कि आपके विश्वविद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली शिक्षण संस्थाओं को NAAC मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। आपके विश्वविद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के NAAC मूल्यांकन की अद्यतन स्थिति संलग्न है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Prof. Rajiv Manohar

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

प्रो० एस०पी० सिंह,

कुलपति,

लखनऊ विश्वविद्यालय,

लखनऊ।